



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कवहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail : support@raanchimunicipal.com

पत्रांक : 91/Ey

दिनांक : 06-03-18

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

- | | |
|--|---|
| 1. विज्ञापनदाता का नाम | अधीक्षण अभियंता, राँची नगर निगम, राँची। |
| 2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय | 16/03/2018 को 02:00 बजे अपराह्न तक। |
| 3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय | 16/03/2018 को 2:30 बजे अपराह्न के बाद। |
| 4. परिमाण विपत्र Download की तिथि | 10/03/2018 से 15/03/2018 तक। |
| 5. निविदा प्राप्ति का स्थान | अभियंत्रण शाखा, राँची नगर निगम, राँची। |

क्र०	वार्ड न०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रघन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादेश की तिथि से)
1	2	3	4	5	6	7
1	31	स्वर्ण जयन्ती नगर में काशी दौरसिया गली में कारु साव के घर से फलेन्द्र साव के घर तक पी० सी० पी० पथ निर्माण कार्य।	160372	1000	3300	45 दिन
2	31	स्वर्ण जयन्ती नगर में अनिल वर्णवाल के घर से देवु जी के घर तक पी० सी० पी० पथ निर्माण कार्य।	335003	1000	6700	45 दिन
3	33	गोकुल नगर में लालू के घर से विमल चन्द्र के घर तक पी० सी० पी० पथ निर्माण कार्य।	360848	1000	7300	45 दिन
4	33	सुखदेव नगर में प्रभात जी गली में नाली निर्माण कार्य।	466547	1000	9400	45 दिन
5	33	नायक चौक के पास गोपाल ठाकुर के घर से हिरा नायक के घर तक पी० सी० पी० पथ निर्माण कार्य।	218049	1000	4400	45 दिन
6	33	भाष्कर कोलोनी में अनुज निवास से प्रकाश जी के घर तक पी० सी० पी० पथ निर्माण कार्य।	366366	1000	7400	45 दिन
7	33	देवी मंडप रोड स्थित सरोवर नगर में वेस्ट में प्रवीण कुमार के घर से पंकज कुमार के घर तक पी० सी० पी० पथ निर्माण कार्य।	788491	5000	15800	70 दिन
8	34	लक्ष्मी नगर में गुड्डु सिंह के घर से मंदिर के आगे तक पक्की नाली निर्माण कार्य।	216508	1000	4400	45 दिन
9	34	लक्ष्मी नगर में अशीष पाठक के घर के पास बड़ा नाला का निर्माण कार्य।	567552	5000	11400	60 दिन



10	34	लक्ष्मी नगर में कबाड़ी मार्केट के आगे से नरेश पंडित के घर तक नाली निर्माण कार्य।	241266	1000	4900	45 दिन
11	34	तेल मिल गली में डॉ० एस० चौबे के घर से कमल होमियो हॉल तक नाली सुधार कार्य।	182368	1000	3700	45 दिन
12	34	नया टोली पडरा में चरका लोहरा के घर से होदा उराव के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	327131	1000	6600	45 दिन
13	36	हेहल पहाड टोली में अखाडा स्थल का सौन्दर्यीकरण कार्य।	253669	1000	5100	45 दिन
14	36	हेहल बगीचा में पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	449748	1000	9000	45 दिन
15	36	हेहल बगीचा टोली में अखाडा स्थल का सौन्दर्यीकरण कार्य।	253669	1000	5100	45 दिन
16	46	बेलदार मोहल्ला में आर० सी० सी० पुलिया निर्माण कार्य।	175925	1000	3600	45 दिन
17	46	नाई मुहल्ला में राधा विजय के घर से सरदार अशोक सिंह के घर तक पी० सी० सी० पथ सुधार एवं नाली कवर स्लैब निर्माण कार्य।	479716	1000	9600	45 दिन
18	46	कुरैशी मुहल्ला में छोटु भाई के घर से कुरैशी मार्केट तक नाली निर्माण कार्य।	274727	1000	5500	45 दिन
19	51	रहमत कोलोनी में नाली एवं स्लैब का निर्माण कार्य।	361725	1000	7300	45 दिन
20	53	निफ्ट के नोर्थ गेट से रॉंची-खुँटी रोड तक बिटुमिनस पथ निर्माण कार्य।	321046	1000	6500	45 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क) a. परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
b. अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
c. रॉंची नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
d. वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
e. G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
f. पैन (छाया प्रति)
g. Download किया गया एन० आई० टी० के साथ परिमाण विपत्र।


- (ख) उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।
2. बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
3. निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वें निर्गम) तीन या पॉच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का) जो नगर आयुक्त, रॉंची नगर निगम, रॉंची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।
4. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), रॉंची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, रॉंची नगर निगम, रॉंची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र रॉंची नगर निगम के वेबसाईट www.ranchimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करगें।

एन० आई० टी० के साथ परिमाण विपत्र



5. इस निविदा के सबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
8. अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत से कम दर मान्य नहीं होगा।
9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से सतुष्ट होकर ही निविदा दें। इस सबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-संयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
10. जिन संवेदकों द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदकों को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
14. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात् संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के सबंध में कोई दावा मान्य होगा।
15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा कि संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदारों अमान्य कर दी जायेगी।


अधीक्षण अभियंता
राँची नगर निगम, राँची।